कार्यालय कलेक्टर (ई–गवर्नेन्स) जबलपुर

कक्ष क्रमांक – 40, कलेक्ट्रेट जबलपुर, Email – degmjab@mp.gov.in, Ph – 0761-2624356-240

क्रमांक /1293 ई–गवर्नेंस / 2018 जबलपुर,दिनांक 17 सितम्बर 2018

आदेश

मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक : ऍफ़ 3-2/2017/41-2 भोपाल दिनांक 13.08.2018 अनुसार **निजी संस्थाओ में कार्यरत ऐसे ऑपरेटर जिनके पास स्वयं की ECMP Kit उपलब्ध है** तथा वह शासकीय परिसर में **UIDAI द्वारा निर्धारित गाइडलाइन अनुसार** कार्य करने के इच्छुक हैं को **जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित कर EA/राज्य नोडल एजेंसी म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल** के माध्यम से ऑन-बोर्ड कराते हुए आधार पंजीयन केंद्र स्थापित किया जाना है व इन केन्द्रों पर वेरिफायर नियुक्त किये जाने है।

उक्त कार्य हेतु इच्छुक **आधार ऑपरेटर/सुपरवाइजर** व इन आधार केन्द्रों पर वेरिफायर नियुक्त करने हेतु रिटायर्ड अथवा कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

1.

विवरण	
आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि: 17.09.2018	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि: 25.09.2018
आवश्यक दस्तावेज:	1.संलग्न प्रारूप अनुसार नोटराइज्ड शपथ पत्र 2.आवेदन पत्र 3.ऑपरेटर का आधार कार्ड 4.ऑपरेटर का पैन कार्ड 5.ऑपरेटर की बैंक डिटेल व पासबुक की कॉपी 6.ECMP Kit सम्बन्धी विवरण निर्धारित प्रारूप में व किट क्रय का बिल

2. **नियम व शर्तें** :-

1.यह सभी केंद्र DeGS Jabalpur के माध्यम से MPSEDC के अंतर्गत ही शासकीय परिसर में कार्य करेंगे।

2.DeGS Jabalpur इन केन्द्रों पर UIDAI की गाइडलाइन्स के अनुसार वेरिफायर की नियुक्ति करेगा।

3.वर्ग-03 अथवा वरिष्ठ अधिकारी (रिटायर्ड/वर्किंग शासकीय अधिकारी कर्मचारी) को वेरिफायर के रूप में DeGS जबलपुर द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

4.एक ऑपरेटर प्रति मशीन के मानक के अनुसार ही ऑपरेटर्स की संख्या को MPSEDC अग्रेषित किया जाएगा।

5.आधार केंद्र कक्ष का किराया निःशुल्क होगा तथा बिजली एवं इन्टरनेट पर होने वाला व्यय ऑपरेटर द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

जिला प्रबंधक
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी जबलपुर

6.UIDAI द्वारा तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से Application में प्रक्रिया तथा तकनीकी बदलाव निरंतर किये जाते हैं जिसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह www.uidai.gov.in पोर्टल का नियमित अवलोकन करें तथा UIDAI की गाइडलाइन्स के अनुसार ही कार्य का संपादन सुनिश्चित करें और समय समय पर हो रहे बदलावों से स्वयं को अद्यतन रखें,इससे संभावित पेनल्टी को रोका जा सकेगा।

7. MPSEDC, DeGS Jabalpur, Operator एवं Verifier में शुल्क विभाजन निम्नानुसार होगा –

SN	Service Name	For Citizen	शुल्क विभाजन (In Rs.)			
			MPSEDC	DeGS Jabalpur	Verifier	Operator
1	Aadhar Demographic Updation	Rs 25/-	Nil	5.00/-	02.00/-	18.00/-
2	Aadhar Biometric Updation	Rs 25/-	Nil	5.00/-	02.00/-	18.00/-
3	Mandatory Biometric Update	Rs 00/-	2.00/-	5.00/-	02.00/-	16.00/-
4	E-Aadhar Print (b & w)	Rs10/-	0.00/-	0.00/-	Nil	10.00/-
5	E-Aadhar Print (Colour)	Rs 20/-	0.00/-	0.00/-	Nil	20.00/-
6	Lamination (A4)	Rs 20/-	0.00/-	0.00/-	Nil	20.00/-
7	Other Charges If Any, Shall Be Paid As per UIDAI Guidelines Issued from Time to Time					

8.05 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के टेबलेट के माध्यम से आधार पंजीयन हेतु शुल्क का निर्धारण निमानानुसार होगा :-

Service Name	For Citizen	शुल्क विभाजन (In Rs.)		
		DeGS Jabalpur	Verifier	Operator
नया आधार जनरेशन	नि:शुल्क	5.00/-	02.00/-	17.50/-

9.UIDAI द्वारा लगायी गयी Penalty का भुगतान ऑपरेटर द्वारा ही वहन किया जावेगा। इस प्रयोजन हेतु ECMP Kit एवं अन्य उपकरण DeGS Jabalpur के अधिकार में होंगे।

10.ऑपरेटर Blacklist होने एवं Penalty राशि अधिक होने तथा ऑपरेटर द्वारा इस राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में DeGS Jabalpur ऑपरेटर की ECMP Kit को राजसात कर सकेगा। इस सम्बन्ध में ऑपरेटर एवं DeGS Jabalpur के मध्य एक करारनामा भी निष्पादित किया जाएगा।

जिला प्रबंधक
जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी जबलपुर

11.ऑपरेटर Blacklist होने पर शासकीय परिसर में उसको आवंटित कक्ष स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा DeGS Jabalpur इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिन्हित अन्य ऑपरेटर को आधार केंद्र आवंटित करने हेतु कार्यवाही करेंगे।

12.शासकीय परिसर में संचालित आधार केंद्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक आधार ऑपरेटर को आधार किट संचालन की स्वीकृति देने का अधिकार DeGS Jabalpur को होगा।

13. आधार वेंडर/ऑपरेटर को स्वीकृति अनुसार शासकीय कार्यालय में ही आधार केंद्र का संचालन करना अनिवार्य होगा।

14. कार्यालयीन समय (10:30 AM से 06:00 PM) के बाद आधार किट का संचालन पूर्णतः निषेध होगा।

15. निर्धारित शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्यत्र स्थान पर किट का संचालन पूर्णतः निषेध/ प्रतिबंधित होगा।

16. UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क (बिंदु क्रमांक-07 एवं 08) अनुसार दर सूची आधार केन्द्र के अंदर व बाहर ज़िला ई-गवर्नन्स सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट अक्षर में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

17.आधार एनरोलमेंट/सुधार से सम्बंधित दस्तावेज़ों की सूची आधार केंद्र के अंदर व बाहर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

18.सम्बंधित आधार वेंडर को आधार केंद्र पर ख़ुद के व्यय पर सी.सी.टी.व्ही.कैमरा न्यूनतम 03 माह की रिकॉर्डिंग स्टोरेज के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा।

19. आधार संशोधन/अपडेशन पर प्राप्त होने वाले शुल्क पर रु 07/- प्रति आधार संशोधन/अपडेशन की दर से राशि मासिक रिपोर्ट के साथ मय दस्तावेज़ ज़िला ई-गवर्नेंस सोसायटी जबलपुर में प्रत्येक माह की 05 तारीख़ के पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा।

20. निर्धारित अवधि तक राशि जमा न कराए जाने पर प्रति दिवस 100/- रु के मान से पेनल्टी सम्बंधित आधार वेंडर पर अधिरोपित की जाएगी।

21.DeGS अंतर्गत संचालित समस्त आधार केन्द्रों को एक स्वरुप में पेंटिंग करा कर सूचना का प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

23. उपरोक्त शर्तानुसार (कंडिका क्रमांक 2(1) से 2(22)तक) कार्य न करने अथवा अनियमितता पाए जाने पर रु 250/- प्रति शिकायत पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार ज़िला ई-गवर्नन्स सोसायटी जबलपुर को होगा।

24. दो से अधिक अवसर पर अर्थदण्ड DeGS जबलपुर द्वारा अधिरोपित होने की दशा में आधार किट डीऐक्टिवेट करने का अधिकार ज़िला गवर्नेंस सोसायटी जबलपुर को होगा।

25.उपरोक्त समस्त शर्तों (कंडिका क्रमांक 2(1) से 2(24)तक) के पालन हेतु संलग्न प्रारूप अनुसार आधार ऑपरेटर को आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

जिला प्रबंधक
ज़िला ई-गवर्नेन्स सोसायटी जबलपुर

कलेक्टर
जिला-जबलपुर

Operator हेतु।

शपथ पत्र

मैं शपथकर्ता ....पिता ....

निवासी ....जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी जबलपुर के माध्यम से एनरोलमेंट एजेंसी MPSEDC भोपाल अंतर्गत आधार ऑपरेटर के रूप में कार्य करने हेतु निम्नानुसार शर्तों (कंडिका क्रमांक 1 से 23) से सहमत हूँ व अक्षरश: पालन करूँगा :-

कंडिकाए-

1. जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी जबलपुर व एनरोलमेंट एजेंसी म.प्र.राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा समय समय पर आधार केंद्र संचालन सम्बन्धी प्रदत्त समस्त दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करूँगा।

2.मेरे द्वारा आधार केंद्र का संचालन DeGS Jabalpur के माध्यम से MPSEDC Bhopal अंतर्गत शासकीय परिसर में प्राप्त स्वीकृति अनुसार किया जाएगा।

3.DeGS Jabalpur इन केन्द्रों पर UIDAI की गाइडलाइन्स के अनुसार वेरिफायर (वर्ग-03 अथवा वरिष्ठ अधिकारी-रिटायर्ड/कार्यरत शासकीय अधिकारी कर्मचारी) की नियुक्ति करेगा,जिनकी आधार केंद्र में बैठक व्यवस्था मेरे द्वारा की जाएगी व आधार केंद्र में दैनिक वेरिफिकेशन कार्य में पूर्ण सहयोग मेरे द्वारा वेरिफायर को किया जाएगा।

4.एक ऑपरेटर प्रति मशीन के मानक के अनुसार ही ऑपरेटर्स की संख्या को MPSEDC अग्रेषित किया जाएगा,अर्थात एक आधार किट पर एक से अधिक ऑपरेटर/सुपरवाइजर के आवेदन स्वीकार्य नही होंगे।

5.आधार केंद्र कक्ष का किराया निःशुल्क होगा तथा बिजली एवं इन्टरनेट पर होने वाला व्यय ऑपरेटर द्वारा स्वयं वहन किया जावेगा।

6.UIDAI द्वारा तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से Application में प्रक्रिया तथा तकनीकी बदलाव निरंतर किये जाते हैं जिसकी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ऑपरेटर का दायित्व होगा कि वह www.uidai.gov.in पोर्टल का नियमित अवलोकन करें तथा UIDAI की गाइडलाइन्स के अनुसार ही कार्य का संपादन सुनिश्चित करें और समय समय पर हो रहे बदलावों से स्वयं को अद्यतन रखें,इससे संभावित पेनल्टी को रोका जा सकेगा।

7. MPSEDC, DeGS Jabalpur, Operator एवं Verifier में शुल्क विभाजन निम्नानुसार होगा –

SN	Service Name	For Citizen	शुल्क विभाजन (In Rs.)			
			MPSEDC	DeGS Jabalpur	Verifier	Operator
1	Aadhar Demographic Updation	Rs 25/-	Nil	5.00/-	02.00/-	18.00/-
2	Aadhar Biometric Updation	Rs 25/-	Nil	5.00/-	02.00/-	18.00/-

3	Mandatory Biometric Update	Rs 00/-	2.00/-	5.00/-	02.00/-	16.00/-
4	E-Aadhar Print (b & w)	Rs10/-	0.00/-	0.00/-	Nil	10.00/-
5	E-Aadhar Print (Colour)	Rs 20/-	0.00/-	0.00/-	Nil	20.00/-
6	Lamination (A4)	Rs 20/-	0.00/-	0.00/-	Nil	20.00/-
7	Other Charges If Any, Shall Be Paid As per UIDAI Guidelines Issued from Time to Time					

8.05 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के टेबलेट के माध्यम से आधार पंजीयन हेतु शुल्क का निर्धारण निमानानुसार होगा :-

Service Name	For Citizen	शुल्क विभाजन (In Rs.)		
		DeGS Jabalpur	Verifier	Operator
नया आधार जनरेशन	निःशुल्क	5.00/-	02.00/-	17.50/-

9.UIDAI द्वारा लगायी गयी Penalty का भुगतान ऑपरेटर द्वारा ही वहन किया जावेगा। इस प्रयोजन हेतु मेरी ECMP Kit एवं अन्य उपकरण DeGS Jabalpur के अधिकार में होंगे ।

10.ऑपरेटर Blacklist होने एवं Penalty राशि अधिक होने तथा ऑपरेटर द्वारा इस राशि का भुगतान न कर पाने की स्थिति में DeGS Jabalpur ऑपरेटर की ECMP Kit को राजसात कर सकेगा । इस सम्बन्ध में मेरे (ऑपरेटर/किट ओनर) एवं DeGS Jabalpur के मध्य एक करारनामा भी निष्पादित किया जाएगा ।

11.ऑपरेटर Blacklist होने पर शासकीय परिसर में उसको आवंटित कक्ष स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा DeGS Jabalpur इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए चिन्हित अन्य ऑपरेटर को आधार केंद्र आवंटित करने हेतु कार्यवाही करेंगे ।

12.शासकीय परिसर में संचालित आधार केंद्र में आवश्यकतानुसार एक से अधिक आधार ऑपरेटर को आधार किट संचालन की स्वीकृति देने का अधिकार DeGS Jabalpur को होगा ।

13. आधार वेंडर/ऑपरेटर को स्वीकृति अनुसार शासकीय कार्यालय में ही आधार केंद्र का संचालन करना अनिवार्य होगा।

14. कार्यालयीन समय (10:30 AM से 06:00 PM) के बाद आधार किट का संचालन पूर्णतः निषेध होगा ।

15. निर्धारित शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्यत्र स्थान पर किट का संचालन पूर्णतः निषेध/ प्रतिबंधित होगा।

16. UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क (बिंदु क्रमांक-07 एवं 08) अनुसार दर सूची आधार केन्द्र के अंदर व बाहर ज़िला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में सुस्पष्ट अक्षर में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा ।